झारखण्ड सरकार

कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग),

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला

संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, करमटोली रोड, गुमला ।

अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)

गुमला जिला में चैनपुर, गुमला एवं बसिया प्रखंड मुख्यालय में एग्री क्लीनिक की स्थापना एवं संचालन हेतु अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत एग्री क्लीनिक उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में गुमला जिला के चैनपुर, गुमला एवं बसिया प्रखंड मुख्यालय में स्थित कृषि तकनीकी सूचना केन्द (ATIC) में एग्री क्लीनिक संचालन किया जाना है। एग्री क्लीनिक स्थापना का उद्देश्य किसानो को उचित परामर्श देकर कृषि उत्पादकता, किसानों की उपज एवं उनके आय में वृद्धि करना है। इस योजना अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, पौधा संरक्षण एवं कृषि से संम्बद्ध अन्य विषयों पर किसानों को परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को एग्री क्लीनिक के 12 सर्विसेस यथा – मृदा स्वास्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद कीटनाशी, सुक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ एवं कृषि उत्पादों के दर संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

इसी उद्देश्य से अनुभवी एवं इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) **से दिनांक 05.09.2026** के अपराह्न 1.00 बजे तक **इच्छा की अभिव्यक्ति** आमंत्रित की जाती है, जिसे उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा।

इच्छुक एजेन्सी/संस्था/महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) इच्छा की अभिव्यक्ति से संबंधित दस्तावेज कार्यालय अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी –सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, गुमला के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा आत्मा, गुमला के वेबसाईट www.atmagumla.org से डाउनलोड भी कर सकते है।

22/08/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
गुमला ।

Scanned with OKEN Scanner